UPSI010016252026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश,सीतापुर।**

**जमानत प्रार्थना पत्र सं0–316/2026**

**C.I.S. No.714/2026**

प्रमोद कुमार वर्मा उम्र 55 वर्ष पुत्र मुनीजर वर्मा निवासी ग्राम परसेहरा शरीफपुर थाना हरगॉव जिला सीतापुर । आवेदक/अभियुक्त।

बनाम्

उ0प्र0राज्य। अभियोजक।

मु0अ0सं0–534/2025
धारा–103(1) बी.एन.एस.
थाना–हरगॉव जिला सीतापुर।

**निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र**

यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त प्रमोद कुमार वर्मा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 534/2025, अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. पुलिस थाना हरगॉव जिला सीतापुर के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सीतापुर में निरूद्व है।

जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता रवीन्द्र कुमार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच लखनऊ में कोई जमानत प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और न ही निरस्त हुआ है न ही विचाराधीन है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटनाक्रम के अनुसार वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि दि० 29.12.25 को समय लगभग 4.30 पी.एम. पर उसके बेटे मनोज कुमार वर्मा को उसके बड़े बेटे प्रमोद कुमार वर्मा से आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो प्रमोद कुमार वर्मा ने उसके मझले बेटे मनोज कुमार को धारदार हथियार से उसके ऊपर वार कर दिया जिससे वह घायल होकर गिर गया व कुछ देर वाद वहीं पर मर गया, उसके बेटे मनोज की हत्या उसके बड़े बेटे प्रमोद कुमार वर्मा ने की है। वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह कि अभियुक्त को झूठा रंजिशन पुलिस द्वारा नामजद किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्य झूठे व काल्पनिक है। अभियुक्त की माता को पुलिस द्वारा जबरन मुकदमा वादी बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी मुकदमा द्वारा घटना कारित करने का स्थान नहीं बताया गया है जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी के पास से कथित बरामदगी जबरन एवं फर्जी दर्शायी गई है प्रार्थी के पास से आलाकत्ल की बरामदगी नहीं हुई। बरामदगी की कहानी पुलिस द्वारा फर्जी बनाई गई है। कथित आलाकत्ल हथियार की बरामदगी गन्ने के खेत से दर्शायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी स्वतंत्र साक्षी को नहीं अंकित कराया और घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 5 किमी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 2 घण्टा विलम्ब से दर्ज करायी



Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.03.12 17:54:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Stp

है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र एवं चश्मदीद साक्षी नहीं है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (कि0) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैनें आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्व अपने सगे भाई मनोज कुमार की धारदार हथियार से वार कर हत्या किये जाने का आरोप है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा मृतक मनोज कुमार को आयी चोटो के सम्बंध में **Injury No.1** INCISED WOUND 5.0CM X 1.0CM X MUSCAL DEEP PRESENT ON LEFT EAR TAGUS INVOLVING LEFT EAR PINNA.**Injury No.2** INCISED WOUND 6.0CM X 1.50CM X BONEDEEP PRESENT ON MID OF CHIN INVOLVING BOTH SIDE CHIN. **Injury No.3** INCISED WOUND 12.0 CM X 2.0CM X BONEDEEP PRESENT ON UPPER PART OF FRONT OF NECK 2.0CM BELOW INJURY NO 02.**Injury No.4** INCISED WOUND 7.0CM X 2.0CM X TRACHEAL DEEP PRESENT ON FRONT OF NECK 1.05CM BELOW INJURY NO 3. UNDER LYING LARGE BLOOD VESSELS AND TRCHEA CUT DOWN.**Injury No.5** INCISED WOUND 6.5CM X 1,50CM X MUSCAL DEEP PRESENT ON FRONT OF NECK JUST BELOW INJURY NO 4. अंकित किया गया है एवं मृत्यु का कारण SHOCK AND HEMORRHAGE होने का उल्लेख है। विवेचक द्वारा कथित हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल अभियुक्त की निशादेही पर बरामद किये जाने का उल्लेख फर्द बरामदगी में किया गया है। मामले के तथ्यो, परिस्थितियो, तथा अभियोजन प्रपत्रो के सम्यक् परिशीलन करने से प्रश्नगत मामला अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का पाया जाता है। अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का संतोषप्रद एवं पर्याप्त आधार नही है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्त प्रमोद कुमार वर्मा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 534/2025, अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. पुलिस थाना हरगॉव जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

**दिनांक : 12.03.2026**

**(आशीष जैन)**
**सत्र न्यायाधीश,**
**सीतापुर।**
**J.O.Code-UP -2024**

अजीत.